तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
15/1/21	अपील पेश हुई। पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाब पेश नहीं किया गया है ऐसी अवस्था में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का जवाब बंद किया जाता है। अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। उपरोक्त अपील पर बहस करते हुए अपील व धारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 के तथ्यो को दौहराते हुए बहस में निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 4268 दिनांक 07.04.2011 का जो संरपंच ग्राम पंचायत झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर द्वारा भरा गया है वह विधि विरूद्ध भरा गया है। अपीलांट द्वारा कृषि भूखण्ड संख्या 31 से 34 रेस्पो सं. 3 के मिल्कियत के थे जो बेचाननामे दिनांक 31.08.1995 से जयराम पुत्र हनुमान से खरीद किये थे बाद खरीद रेस्पो सं. 3 दशरथ कुमार का नाम नामान्तरकरण संख्या 785 से दर्ज किया गया। उक्त कृषि भूखण्डो में से एक भूखण्ड सं. 32 को रेस्पो. सं. 3 दशरथ कुमार आम मुख्त्यार नरेन्द्र जोशी के मार्फत अपीलांट संख्या 1 व 2 ने जरिये पंजीबद्ध विलेख के खरीद किया गया। भूखण्ड खरीदने के पश्चात् अपीलांटस ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु संरपच ग्राम पंचायत झालामण्ड के समक्ष बेचाननामे की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन संरपच ने किसी प्रकार के नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की न ही राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं किया गया। अपीलांट संख्या 1 का देहान्त 11/01/2019 को हो गया उनके देहांत के बाद दोनो पुत्र अशुतोष व अमिताभ में निहित हो गये। अपीलांट ने हाल ही नामान्तरकरण की नकल ली तब पता चला कि नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में भर दिया जो बख्शीशनामा दिनांक 18.03.2011 के आधार पर भरा गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 दशरथ कुमार को उक्त भूखण्ड बख्शीश करने का अधिकार नहीं था क्योंकि दशरथ कुमार ने जरिये आम मुख्त्यारनामा के भूखण्ड बैचान कर दिया था। बिना जांच पड़ताल किये नामान्तरकरण भरा गया है जिसे निरस्त किया जाकर व अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज करने के आदेश फरमावें। हमने प्रस्तुत अपील, धारा 5 का प्रार्थना पत्र, अपीलांट विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को, राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात् एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर की जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 के खसरा नं. 669 में खातेदार दशरथ कुमार पि. परसराम प्रजापति सा. देह खातेदार थे। अपील के साथ प्रस्तुत पंजीबद्ध बैचाननामे अनुसार खातेदार दशरथ कुमार पुत्र परसराम द्वारा नरेन्द्र जोशी पुत्र आसकरण को आममुख्त्यार दिये जाने पर नरेन्द्र जोशी द्वारा श्रीमती सुदर्शन योगानन्दी को भूखण्ड संख्या 32 विक्रय किया गया था। अपीलांट विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उनके द्वारा सरपंच ग्राम झालामण्ड को बैचाननामे की प्रति के साथ नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन सरंपच झालामण्ड द्वारा नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। सरंपच ने सीधे ही बख्शीशनामा दिनांक 18.03.2011 के आधार	न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (राज.)

पर नामान्तरकरण संख्या 4268 रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी व नामान्तरकरण संख्या 4268 के अवलोकन अनुसार नामान्तरकरण में एन्ट्री संख्या 3 अनुसार खसरा नं. 669/11 में दशरथ कुमार के स्थान पर गुरूकृपा जीवजन्तु पशु पक्षी गुरूदेव के नाम दर्ज किया हुआ है जो बख्शीशनामा के आधार पर दर्ज किया गया है। जबकि दशरथ कुमार द्वारा भूखण्ड संख्या का 32 का बेचान जरिये आममुख्त्यारनामा के किया गया था। भूखण्डो के बेचान के पश्चात् जो नामान्तरकरण बख्शीशनामा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा भरे गये वह विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये ही तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र व बेचाननामे को अनदेखा करके जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विरूद्ध भरा गया है जो निरस्तनीय है। वर्तमान में सुदर्शन योगानन्दी का देहान्त हो चुका है तथा उनके उत्तराधिकारी अपीलांट है।

अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4268 इस हद तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 4268 में एन्ट्री संख्या 3 पर इन्द्राज निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के पक्ष में किये गये बेचाननामे (श्रीमती सुदर्शन योगानन्दी के पक्ष में किया गया) को ध्यान में रखते हुए उनकी जांच कर पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। शेष नामान्तरकरण संख्या 4268 यथावत रहेगा। आदेश आज दिनांक 15/1/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)